राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(3)वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 13 JAN 2023

विषय :- विद्यमान संविदा कार्मिकों को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत लाये जाने के संबंध में ऊपरी सीमा, सन्तानों की संख्या बाबत प्रावधान, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना प. 17(4)कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 लागू किये गये हैं। उक्त नियमों के नियम-3 के प्रावधान अनुसार विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अन्तर्गत लाये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा संविदा पदों का पारिश्रमिक निर्धारित करने सहमति प्रदान की गई है।

उक्त नियमों के नियम-6 में वर्णित ऊपरी आयु सीमा, नियम 9(2) में वर्णित दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तानों वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु अपात्रता तथा नियम 8 में चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत प्रावधान के कारण कतिपय प्रकरणों में विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अन्तर्गत लाये जाने की कठिनाई अनुभव की जा रही है।

अतः Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के नियम 6, 8 व 9(2) में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है:-

1. ऐसे विद्यमान संविदा कार्मिक जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत की गई थी किन्तु अब नियम-6 में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु हो गई है, उन कार्मिकों को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।

2. विद्यमान नियम-8 के प्रावधान में कार्मिकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की जाती है।

3. विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने हेतु नियम 9(2) के प्रावधानों में दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अपात्रता संबंधी प्रावधान में शिथिलता प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार नियमों में शिथिलता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पत्रावली पर प्राप्त अनुमोदन आई डी संख्या CMO/F 23000034/SCM(RG) दिनांक 12.01.2023 के क्रम में प्रदान की गई है।

13/1/23

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–I

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
2. अति. मुख्य सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग
5. शासन सचिव, अल्प संख्यक मामलात विभाग
6. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग

13/1/23

संयुक्त शासन सचिव –I